



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2026/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JANUARY 5, 2026 (PAUSA 15, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार,

शहरी सम्पदा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जनवरी, 2026

नं० एल०ए०सी०(गु)–2026/एन०टी०एल०ए०/3107.— जैसा कि हरियाणा के राज्यपाल सन्तुष्ट हैं कि ग्राम शिकोहपुर हदबस्त नं० 160 तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम की राजस्व सम्पदा में स्थित भूमि, जिसका विवरण नीचे विशिष्टता में दिया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हरियाणा शहरी विकास अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्देश्य नामतः सैक्टर डिवाइडिंग रोड, सैक्टर 77 एण्ड 78 गुरुग्राम गुडगांव के विकास हेतु प्रयोग के लिए वांछित है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 के लिए अधिसूचना क्रमांक नं० एल०ए०सी०(गु०)–एन०टी०एल०ए०/2013/1412 दिनांक 31.12.2013 को जारी कराई गई है और जिसका हरियाणा सरकार के गजट (असाधारण राजपत्र) में प्रकाशन हुआ है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 एवं वर्तमान अधिनियम उचित मुआवजे का अधिकार तथा भू-अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शित अधिनियम 2013 की धारा-24(1) (ए) में निहित प्रावधानों के साथ पठित उन सभी के लिए जो इससे संबंधित हैं, के सूचनार्थ की जाती है कि निम्न विशिष्टता में वर्णित दर्शाई गई भूमि का उपरोक्त सार्वजनिक उद्देश्य: हेतु अर्जन किया जाना आवश्यक है।

भूमि के नक्शा/प्लान का निरीक्षण भूमि अर्जन कलैक्टर/जिलाधीश, शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा, सैक्टर-14, गुरुग्राम के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टता

जिला	तहसील	ग्राम क्षेत्र/ हदबस्त नं०	रकबा एकड़ों में	मुस्तील/किला नं०
गुरुग्राम	मानेसर	शिकोहपुर ह0ब0नं० 160	34.75625 एकड़	582मिन(5-3-0), 590मिन(2-15-0), 591मिन(0-16-0), 592(0-3-0), 593(2-3-0), 594(0-11-0), 945मिन(1-3-0), 946मिन(0-12-0), 951मिन(1-5-0), 952(1-9-0), 953मिन(0-19-0), 977(0-18-0), 978(1-11-0), 980मिन(0-16-0), 984मिन(0-19-0), 985(1-5-0), 986मिन(0-10-0), 1020मिन(1-11-0), 1021मिन(3-2-0), 1048मिन(3-8-0), 1049मिन(0-8-0), 1062मिन(4-2-0),

1064मिन(1-14-0),1065मिन(1-2-0),1067मिन(0-6-0),
1338मिन(2-12-0),1339मिन(3-16-0),
1351मिन(1-0-0),1352मिन(0-2-0),1382मिन(5-6-0),
1384मिन(3-0-2),1385मिन(1-0-0),
1387मिन(0-4-0),1389मिन(0-1-0).

नोट:— उपरोक्त घोषणा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अंतर्गत, खसरा नं० 996 मिन (0-2-7), 1005(1-7-0), 1006 (0-2-0), 1047मिन (1-16-0), 1340 (2-16-0), 1341 (0-6-0), 1344 मिन (6-0-0), 1345 मिन(3-0-0) कुल भूमि (9.59375) एकड़ के लिए जारी नहीं की जा रही है, जो एसएलपी (सी) डायरी नं० 21826/2025 और 21263/2025 का विषय है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेश की अनुपालना में है, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि इस बीच पक्षकार उपरोक्त विशेष अनुमति याचिकाओं में आज की स्थिति को यथावत बनाए रखें।

(हस्ता०)...
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी सम्पदा विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN ESTATE DEPARTMENT

Notification

The 5th January, 2026

No. LAC(G)-NTLA/2026/3107.— Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land described in the specification below situated in the revenue estate of village Sikohpur, H.B. No. 160, Tehsil Manesar District Gurugram is required for public purpose namely for Sector dividing road, Sector 77 and 78 at Gurugram under the Haryana Development Authority Act, 1977 by the Haryana Urban Development Authority for which notification No. LAC(G)-NTLA-2013/1412 dated 31.12.2013 has been issued under Section-4 of Land Acquisition Act, 1894 and published in the Haryana Government gazette (extra ordinary).

This declaration is being made under the provisions of Section-6 of the Land Acquisition Act, 1894 read with provisions of Section-24(1)(a) of the Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 for the information of all to whom it may concern that the land described in the specification below is required for the above stated public purpose.

Plan of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, Urban Estates, Haryana, Sector-14, Gurugram.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village Locality & H.B.No.	Area in acres	Rect./Killa Khasra No.
Gurugram	Manesar	Sikohpur H.B.No. 160	34.75625 acres	582min(5-3-0),590min(2-15-0), 591min(0-16-0),592(0-3-0), 593(2-3-0),594(0-11-0), 945min(1-3-0),946min(0-12-0), 951min(1-5-0),952(1-9-0), 953min(0-19-0),977(0-18-0), 978(1-11-0),980min(0-16-0), 984min(0-19-0),985(1-5-0), 986min(0-10-0),1020min(1-11-0), 1021min(3-2-0),1048min(3-8-0), 1049min(0-8-0),1062min(4-2-0),

1064min(1-14-0),1065min(1-2-0),
1067min(0-6-0),1338min(2-12-0),
1339min(3-16-0),1351min(1-0-0),
1352min(0-2-0),1382min(5-6-0),
1384min(3-0-2),1385min(1-0-0),
1387min(0-4-0),1389min(0-1-0).

Note:- The above declaration Under section-6 L,A, Act 1984 in not being issued for Khasra No. 996 min (0-2-7), 1005 (1-7-0), 1006 (0-2-0), 1047 min (1-16-0) 1340 (2-16-0), 1341 min (0-6-0), 1344 min (6-0-0), 1345min (3-0-0), Total and (9.59375) acre, which are subject matter of SLP(C) Diary No. 21826/2025 & 21263/2025 and in compliance of order dated 10-12-2025 passed by the Hon'ble Supreme Court of India where in it was directed that parties in the mean time shall maintain status quo existing as on today, in the above mentioned Special Leave Petitions.

(*Sd.*) ...,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Estates Department, Chandigarh.